उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 519/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के क्रम में, माल की पूर्ति पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय के अधीन आने वाले, यथास्थिति, जैसा उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट है, उस पर उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा यूनिट रन कैंटीन को माल की पूर्ति ।
2.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति ।
3.	कोई अध्याय	यूनिट रन कैंटीन द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति ।

स्पष्टीकरण––

(1) इस अधिसूचना में, ''टैरिफ मद'', ''उपशीर्ष'', ''शीर्ष'' और ''अध्याय'' से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संं0 519/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5– एन0आई0सी0

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.519/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No 519/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: 29 June, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council is pleased to allow to exempt, supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), from the whole of the State tax leviable thereon under section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), namely :-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the Unit Run Canteens
2.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the authorized customers
3.	Any chapter	The supply of goods by the Unit Run Canteens to the authorized customers

Explanation. –

(1) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.